

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलेक्टर (स) SDO मुकाम... बापु

बनाम... डा. चला 1/14 वगैरा जे... डा. 1/14 वगैरा

किस्म मुकदमा... 11859 811957 नं. 124/2022 सन्. 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>23/3/2022</p> <p>19/04/2022</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>कु. 2/3/18/5 चाधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू-धनस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तालब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>19/4/2022</u> को पेश हो।</p> <p><u>प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थी/विप्रार्थीगण</u></p> <p><u>उ नोटिस तामिल सुद्धा प्राप्त जिसे</u></p> <p><u>वाकिल पत्रावली विप्रार्थीगण/ विप्रार्थीगण बाव-</u></p> <p><u>हुड तामिल अनु उपस्थित/ न्यायालय समग्र लीन</u></p> <p><u>ठार क्रवाज लगाई गई अन्तिम क्रवाज 5:45</u></p> <p><u>PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं आ</u></p> <p><u>उन्ही क्रो ले डेई अधिकतर उपस्थित नहीं</u></p> <p><u>इका लिखाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एड-</u></p> <p><u>ल्टरन) डायुवादी समल में लाई जाती है</u></p> <p><u>कित; वाला बरस पत्रावली दिनांक-18/05/2022</u></p> <p><u>को पेश है। नु</u></p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO)</p> <p>बापु</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO)</p> <p>बापु</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/05/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDD)
बायतु
जिला - बाड़मेर

न्यायालय
673

क्र. 1222/
प्रार्थी

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/ 673

दिनांक : 18/5/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अचलाराम पुत्र नन्दराम,
जाति जाट, निवासी लुणाड़ा,
पटवार मण्डल लुणाड़ा,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. जेहाराम पुत्र गोकलाराम वगैरा 15,
जाति जाट, निवासी लुणाड़ा,
पटवार मण्डल लुणाड़ा,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 124/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लुणाड़ा, पटवार मण्डल - लुणाड़ा, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 1165, 1492/1165, 915, 932, 936 रकबा क्रमशः 5.6064, 7.7664, 3.6648, 2.9852 2.6859 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिश्नरी शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/ 674-678

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का लुणाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र नन्दराम,
4. विप्रार्थी श्री जेहाराम पुत्र गोकलाराम वगैरा 15,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर